LOK SABHA

Friday, November 21, 1969/Kartika 30, 1891 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[Mr. Speaker *in the Chair*]

MEMBER SWORN

SHRI GURCHARAN SINGH (Ferozepur—Punjab)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Delhi Police

*121. SHRI N. K. P. SALVE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Police Constables and Officials involved in criminal offences and illegal activities during the year 1967-68 ;

(b) the number of such persons prosecuted and convicted ; and

(c) whether any steps are comtemplated by his Ministry in the light of the Khosla Commission Report on the working conditions and economic distress of the police Constables in the Union Territory of Delhi ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) In addition to 1001 persons reported to be involved in the Delhi Police unrest of April 1967, 44 persons were reported to be involved in such activities during the period from 1st April, 1967 to 31st March, 1968.

(b) 971 persons were prosecuted and 7 have been convicted so far.

(c) After examination of the Interim Report of the Delhi Police Commission, the emoluments of Delhi Police personnel have been increased by sanctioning certain allowances, and a programme of construction of houses for the police personnel has been taken up.

Various Branches of the Delhi Police have also been reorganised to improve the operational efficiency of the police force and measures have also been taken to provide them with better amenities.

A statement indicating the recommendations of the Commission and the decisions/action taken on them is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2020/69].

SHRI A. SREEDHARAN : It is not possible to go through such a voluminous statement as this. It should have been circulated earlier.

श्री सरेन्द्र कुमार साल्वे : श्रीमन्, खोसला आयोग की सिफारिशों से यह स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की स्थिति बहुत शोचनीय और दयनीय थी । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि वह कौन से कारण हैं, वजूहात थीं जिनकी वजह से गृह मंत्रालय ने समय से उचित कार्यवाही करके इन हालतों को सुधारने की कोशिश नहीं की ?

जैसे अभी मंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने कुछ सिफारिशों पर अमल किया है इन सिफारिशों पर अमल करने के बाद अब मौजूदा हालत पुलिस वालों की ज्यादा समाधानकारक स्थापित हुई है यह जानने के लिए कि क्या इनके पास कोई जरिया या मशीनरी है या नहीं और अगर नहीं है तो क्या सदन को यह आश्वासन देंगे कि वह ऐसी जानकारी हासिल करने के लिए जल्द से जल्द जरूरी कार्यवाही करेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक कि दिल्ली पुलिस की पिछली परिस्थितियों का सवाल है इसके बारे में बड़ा लम्बा इतिहास है ।

उसके कई कारण हैं जिसके कि अन्तर्गत ऐसी बहुत सी परिस्थितियां दिल्ली पुलिस में थी जिनके कि कारण असन्तोष हुआ । इसका एक बड़ा कारण यह था कि दिल्ली पुलिस का खुद का अपना कोई कैडर नहीं है और हम दूसरी जगहों से यहां दिल्ली पुलिस में वहां के पुलिस अधिकारियों को लाते थे । वे दिल्ली में कुछ दिन काम करके वह फिर अपने अपने राज्य को वापिस जाने का रास्ता देखते रहते थे । यह और इस तरह के और भी कई कारण थे जिनके बारे में खोसला कमीशन ने काफी सोच विचार किया और सोच विचार करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी । माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि हमारे पास क्या ऐसी कोई मशीनरी है जिससे हम पता लगा सकते है कि उस खोसला कमीशन की जो सिफारिशें थीं उनको लागू करने के बाद से कितना फायदा हुआ और कितना फायदा नहीं हुआ और उससे उनके मन में कितना संतोष या असंतोष है । इसके बारे में जो वहां महाअधीक्षक हैं दिल्ली पुलिस के वह स्वयं देखभाल करते रहते हैं । उनके बाद इसके लिए खास तौर से लोग भी हैं जो कि इसके बारे में जांच पड़ताल करते रहते हैं और हम लोग गृह मंत्रालय मे भी इस बात की देखभाल करने की कोशिश करते हैं कि यह जो आयोग की सिफारिशें हैं यह ठीक से लागू की जांय और इनका असर भी ठीक हो । इसके बारे में असर कैसा हो रहा है उस की तरफ भी हम लोग ध्यान देंगे ।

SHRI S. M. BANERJEE : From the statement it appears that nearly one thousand policemen, starting from an ordinary constable to sub-inspector, are just starving on the streets because cases are going on against them and some of them have been dismissed from service. The only crime that these policemen committed was this that their condition excited horror and pity and for that they demonstrated before the Home Minister. More than a year or two have passed. I would like to know from him whether the Government will reconsider their stand and see that all these policemen are taken back on job, or give them a general amnesty.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The hon. Member does not obviously remember what was happening in Delhi Police befor this action had to be taken by us. It was not a question of demonstration before the Home Minister's residence. There were a series of instances where there were serious breaches of discipline, slogan-shouting, objectionable speech making, and at one stage it was even impossible for the I. G. of Police even to take a parade : when he went to the parade, a regular feature of any police force, some of the Policemen in the parade even refused to take part in the parade and started shouting slogans. The indiscipline had gone so much, it had become so dangerous that unless some very stringent and very strict action was taken it would have been impossible to restore discipline which is actually necessary for a force like Delhi Police...

SHRI S. M. BANERJEE : My question has not been answered. My question was whether Government were going to reconsider their stand.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have not yet completed my answer. In view of this, we have no intention of reconsidering this matter.

SHRI JYOTIRMOY BASU : That is very unkind.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : The hon. Minister has stated that hundreds of persons were sent up for prosecution, but only seven cases have been decided so far. I want to know against how many police personnel these criminal charges have been pending for more than two years. I also want to know what percentage of police personnel have been provided with accommodation.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : As I have indicated in my main answer, 1,001 personnel were involved. Some of them were dismissed and one of them resigned. I think, 700 and odd people, who are ex-police personnel, are being proceeded against in the court. There has been some delay because those people who are being

prosecuted in the court of law have gone to higher courts to ask for stay orders and all those things and because of that, the judicial proceedings have been delayed to a certain extent. It has been our endeavour to expedite the judicial proceedings, so that we can get a judicial verdict on these things and then take action accordingly.

About accommodation, we have embarked upon a crash programme of providing accomodation to Delhi policemen. Two years back, Rs. 50 lakhs were sanctioned for erection of staff quarters. In the last financial year and the current financial year we have provided Rs. 1 crore for each financial year for the housing programme of Delhi policemen and all these staff quarters are under construction.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : My question was, what percentage have been accommodated.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : This percentage is not available now. I shall let the House know about it.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, हमको बताया गया है कि 971 पुलिस वालों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और 7 लोगों को सजा हो चुकी है। पिछली बार मैंने इस सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि पुलिस वालों के ऊपर जिस अदालत में मुकदमे चल रहे हैं वह पुलिस स्टेशन के अन्दर है और उसके कारण गवाह आदि को डर महसूस होता है और वह आ नहीं पाते हैं। क्या मैं सरकार से इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि अदालत की जगह पुलिस स्टेशन से निकाल कर बाहर किसी जगह ले जाने के बारे में उन्होंने क्या किया है? दूसरा सवाल पूछा गया था गैर-कानूनी काम के बारे में। पुलिस अगर आन्दोलन करती है तो वह गैर कानूनी हो गया : लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हड़ताल करने वालों पर या शान्ति से आन्दोलन चलाने वालों पर गोली चलाकर, जैसे कि मैट्रल गवर्नमेंट स्ट्राइक में हुआ जिसमें बड़े बड़े अधिकारी सम्मिलित थे पुलिस अधिकारियों ने जो गैर-कानूनी काम किया, उसको लेकर क्या सरकार कोई मुकदमा चला रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : कौन से गैर-कानूनी काम ?

श्री मधु लिमये : गोली मारना, ऊपर से फेंक देना क्या कानूनी काम है इंदिरा गांधी की सरकार में ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक अदालतों का सवाल है मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है जिसमें यह लगे कि गवाहों को उन अदालतों में जा कर गवाही देने में कोई कठिनाई हुई है। अगर शिकायतें आयेंगी.....

श्री मधु लिमये : मैंने खुद की है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : दूसरे गवाहों की कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री मधु लिमये : मेरा प्रश्न यह था कि अदालतें पुलिस स्टेशन के अन्दर बैठती हैं उनको बाहर ले जाने के बारे में.....

श्री विद्या चरण शुक्ल : अगर किसी कारण से पुलिस स्टेशन के भीतर अदालत बैठ गई है तो मैं पता लगाऊंगा कि किस कारण से वह वहां ले जाई गई है और यदि गवाही देने में किसी को कोई कठिनाई होती है तो हम उस पर विचार करेंगे। मैं इस बात को साफ कह देना चाहता हूं कि हमारा जरा भी इरादा नहीं है कि कोई आदमी वहां गवाही देने न जा सके या जबर्दस्ती दिलाई जाए या किसी गवाह को तकलीफ दी जाये न हम ऐसा करते हैं। अगर गवाहों के रास्ते में कोई अड़चन आ रही है तो हम उसका इंतजाम करने का यत्न करेंगे।

श्री राम चरण : जिन लोगों पर केसेज चल रहे हैं उनमें करीब तीन या चार सौ के बीच हरिजन हैं जो पिछले तीन सालों में भरती किये गये थे। उनकी तीन साल की सर्विस हो

जाने के बाद भी उनको निकाल दिया गया है और उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई हैं। गवर्नमेंट सर्विस का कानून यह है कि जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई करता है तो पहले उस को सस्पेंड किया जाता है न कि उसकी सर्विस को टर्मिनेट किया जाय या उसका डिसमिसल किया जाये। कितने ही इस प्रकार के हरिजन और नान-हरिजन कर्मचारी हैं जिन पर स्ट्राइक के सिलसिले में केसेज चल रहे हैं लेकिन उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई हैं या उनको डिसमिस किया गया है। क्या आप उनका नम्बर बतलायेंगे।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं उनका नम्बर बतला सकता हूँ। जिन लोगों पर इस समय कैसेज चल रहे हैं और जो अन्डर सस्पेंशन हैं उनकी संख्या 744 है.....

श्री राम चरण : हरिजन कितने हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हरिजन कितने हैं इसका हमें पता लगाना पड़ेगा।

श्री राम चरण : 400 से ज्यादा हरिजन हैं। यह सरकार एक तरफ तो हरिजनों के साथ हमदर्दी का दावा करती है और दूसरी तरफ हरिजनों का गला काटा जाता है। हर तीसरे दिन गवाह को अदालत में जाना पड़ता है। उसके पास कपड़े नहीं हैं, खाने को रोटी नहीं है और पैरों में जूते नहीं हैं। सरकार को शर्म नहीं आती है कि हर तीसरे दिन हरिजनों को अदालत में घसीटा जाता है। मैं ऐसे कैसेज दे सकता हूँ कि हर तीसरे दिन चालिस चालिस मील दूर से उनको आना होता है।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय से भी कहिए कि पढ़ कर आया करें।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जो दावा करते हैं हमदर्दी का...

श्री राम चरण : उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : आप सुनते क्यों नहीं हैं जो बार बार खड़े हो जाते हैं ? मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, मुझ को पूरी करने की इजाजत दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : सारे लोग खड़े हो रहे हैं तब आप भी इतने जोश में आ जाते हैं।

श्री राम चरण : हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है। (**व्यवधान**)

श्री रामावतार शास्त्री : इसी तरह से सब के लिए कहा कीजिये। यहां पर हरिजन ब्राह्मण और चमार की बात मत कीजिये।...

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं यह कह रहा था कि मेरे पास इस वक्त यह सूचना नहीं है कि 744 लोगों में कितने हरिजन हैं और कितने नहीं हैं। मैं यह सूचना एकत्र करके सदन पटल पर रख दूंगा। इसमें हमारी सदभावना, हमारा सहयोग न होने का कोई सवाल नहीं। जितनी चिंता है हमें वह आप स्वयं जानते हैं। इस तरह से यहां खड़े होकर आरोप लगाना, मैं समझता हूँ, उचित नहीं है।

SHRI UMANATH : The Minister said that the Government has no intention to re onsider the question of their reinstatement, recognition of their union, etc. I would like to draw the attention of the Government to the Khosla Commission's report where it has been specifically said that so far as the policemen's conduct on the strike days was concerned, no political or other extraneous considerations were there and their conduct was directly related to the bad conditions of service and living, so far as they were concerned In view of these findings, I would like to know whether the Government will reconsider their decision, especially now that the Government claims to be progressive, after the explusion of the Syndicate. (*Interruptions*).

SHRI SHEO NARAIN : You are supporting the Government now. (*Interruptions*).

श्री इसहाक सम्भली : बैठ जाओ**

DR. RAM SUBHAG SINGH : It is unparliamentary. Mr. Sheo Narain is our Chief Whip and it was wrong on the part of Mr. Sambhali to have used that expression with reference to him.

श्री राम गोपाल शाल वाले जिस मदस्य ने इस शब्द का व्यवहार किया है उससे आप क्या कहते है ?

एक माननीय सदस्य : क्या कोई व्यक्ति किसी को ** कह सकता है ?

MR. SPEAKER : If he is the Chief Whip, he should not try to distrub the atmosphere of the House. He is more responsible as Chief Whip. (*Interruptions*).

SHRI RANGA : If any hon. member has used the word** against another member, it should be expunged.

DR. RAM SUBHAG SINGH : That word must be expunged.

MR. SPEAKER : It will be expunged. (*Interruptions*).

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The hon. Member referred to two things, namely, political considerations and conditions of service of the Delhi policemen. These instances of indiscipline and lawlessness on the part of Delhi policemen are not actually related to the Khosla Commission Report. As a matter of fact, we appointed the Khosla Commission to go into the conditions of service and living conditions of the Delhi policemen and this has nothing to do with the instances of lawlessness and other matters of conduct of the Delhi policemen on that particular day.

SHRI UMANATH : The Khosla Commission has referred to it.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The Commission has mentioned it. But we should not connect the two. I would request hon. Members to look at this problem from the viewpoint of discipline in the police office. That is the only veiw point that is possible, so far as this question is concerned and when a decision is taken in the matter the only question that will be taken into account will be discipline in the police force and nothing else.

श्री कंवर लाल गुप्त : दिल्ली के बारे में सवाल है और आप दिल्ली के जो मेम्बर हैं उनको आज्ञा नहीं दे रहे हैं ।

श्री रणधीर सिंह : दिल्ली पुलिस में 99 परसेंट हरियाणा के लोग हैं । हमें भी इजाजत मिलनी चाहिए ।

श्री शिवचरण लाल : दिल्ली पुलिस के एक हजार के करीब पुलिस कर्मचारी निलम्बित हैं । उन पर मुकदमे चल रहे हैं । इस बीच में भूप सिंह नाम का एक सिपाही मर गया है । मदन लाल समरिया नाम का एक सिपाही जो बाल्मीकी है उसको केवल इस वास्ते निलम्बित किया गया है कि वह बाल्मीकी है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसकी आप जांच करेंगे ? मदन लाल समरिया क्यों निकाला गया है, क्या इसका आप पता लगायेंगे और क्या उसको वापिस नौकरी में लेने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मुझे पूरा विवरण दिया जाये तो मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री रणधीर सिंह : 19 सितम्बर को जो केन्द्रीय कर्मचारी हड़ताल पर गए थे इंटीमिडेशन थी या नहीं थी, एबसेंट रहे या नहीं रहे, उनमें से 99 परसेंट को बहाल कर दिया गया है । ये भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायीज हैं । दिल्ली यूनियन टैरेटरी है । इन लोगों ने ऐसा कौन सा जबर्दस्त जुर्म किया है कि इनको माफ ही नहीं किया जा सकता है ? दो साल से इनके सिर पर तलवार लटक रही है । मुकदमे जो इनके खिलाफ चल रहे हैं वे खत्म ही नहीं होते हैं । दाढ़ी से मूंछ बढ़ गई है, जो गुनाह इन्होंने

**Expunged as ordered by the Chair—

किया था उससे कहीं ज्यादा उसकी इनको सजा मिल चुकी है। अच्छा तो इनको वापस लिया जाना चाहिए। भूल जायें जो कुछ हुआ है। गांधी जी भी बलंडर्ज को भूल जाया करते थे। कौन सी ऐसी बात है कि इनको माफ ही नहीं किया जा सकता है। अगर इनको वापस आप नौकरी पर नहीं ले सकते हैं तो इनके मुकदमे खत्म करके इनको कोई दूसरी नौकरी आप दे दें ताकि हजारों परिवार जो हैं ये मरने से तो बचें, बेरोजगारी का शिकार तो न हों।

जो हरियाणा के जवान हैं उनकी दिल्ली पुलिस में भरती बन्द कर दी गई है। होम मिनिस्टर साहब ने पिछली बार फरमाया था कि कोई ऐसी बात नहीं है, इनकी भरती बन्द नहीं की गई है। अफसरान जो हैं वे प्रेजुडिस्ड हैं, उन्होंने इनका रिक्रूटमेंट बन्द कर दिया है, हरियाणा के आदमियों को भरती नहीं किया जा रहा है। पांच सौ आते हैं लेकिन उनमें से कोई भी नहीं लिया जाता है। यह ज्यादती हरियाणा वालों के साथ क्यों की जा रही है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक दूसरे सरकारी कर्मचारियों का सवाल है और दिल्ली पुलिस के जवानों का सवाल है, दोनों को एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, दोनों भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहते हैं, भिन्न भिन्न तरह के उनके काम हैं। इसलिए उनके जो अपराध हैं, उनके ऊपर हमें भिन्न भिन्न तरह विचार करना पड़ता है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं इसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं कह सकता हूँ।

जहां तक भरती का सवाल है, यह कहा था कि जहां तक दिल्ली पुलिस का सम्बन्ध है हम चाहते हैं कि केवल एक दो राज्यों से ही लोग इसमें भरती न किये जायें बल्कि पूरे भारतवर्ष से लोग इसमें भरती किये जायें.....

श्री रणधीर सिंह : हरियाणा वालों के लिए आप दरवाजे क्यों बन्द करते हैं, उन पर बैन क्यों लगाते हैं?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हरियाणा से हम लोग अभी भी ले रहे हैं, जवान भरती कर रहे हरियाणा के जवानों की भरती पर किसी ने रोक नहीं लगाई है और न लगेगी। अब चूंकि आपने इस मामले को सदन में उठाया है, हम लोग इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देंगे और देखेंगे कि इस तरह की कोई गलतफहमी किसी के मन में न हो और न इस तरह का डिस-क्रिमिनेशन हरियाणा वालों के साथ हो।

श्री एस० एम० जोशी : इस पर आप डिसकशन एलाउ करें।

AN HON. MEMBER : Sir, we have taken half an hour over this question.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : No body either from my Party or from Delhi has been called.

SHRI S. KUNDU : Would you kindly allow a discussion on this since this matter has been agitating us very much ?

SHRI BAL RAJ MADHOK : Delhi is a Union territory and the police is not under the Delhi Administration. The only place where we can raise questions about law and order and police is Parliament and if Members from Delhi are not given any opportunity to put a question on this, may I know where the people of Delhi can go for this purpose ? This is a matter in which Parliament has direct jurisdiction over Delhi and, therefore, Members from Delhi must be given preference. This is my request.

अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि पुलिस ने इंडिसिप्लिन किया। इंडिसिप्लिन बुरा है, परन्तु जैसे अभी रणधीर सिंह जी को जवाब दिया गया है, इंडिसिप्लिन के बारे में भी क्या अलग अलग क्राइटीरिया है, अलग अलग स्टैंडर्ड है जैसे हम गवर्नमेंट के और मामलों में अलग स्टैंडर्ड हैं? क्या इसी प्रकार से इंडि-सिप्लिन के भी अलग अलग स्टैंडर्ड हैं? मैं जानना चाहता हूं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्ज पर आपने दूसरे सरकारी कर्मचारियों को

नौकरी पर वापस लिया है, क्या उन्हीं ह्यू-मैनिटेरियन ग्राउंड्ज पर इन पुलिस के कर्मचारियों को भी जो बेचारे लो पेड हैं, जो ठोकरें खा रहे हैं, वापस लेंगे ?

इन पुलिस कर्मचारियों का अपराध यह था कि इन्होंने इंडिसिप्लिन किया, नारे वगैरह लगाये। यहां पर देश के बड़े-बड़े जो नेता हैं, उन पर अटैक होते हैं उनको चांटे मारे जाते हैं लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, पुलिस को कहा जाता है कि तुम एक्शन मत लो। पार्लिमेंट के प्रिसिंक्ट्स में श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के मुंह पर चांटे मारे गये। इस समय पुलिस पास खड़ी देखती रही और उसने कुछ नहीं किया। क्या यह इंडिसिप्लिन नहीं था ? क्या उनके खिलाफ आप एक्शन लेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार थे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : पैरा मिलिटरी फोर्सिस के डिसिप्लिन की जहां तक बात है, उससे हम दूसरे जो गवर्नमेंट एम्प्लायीज हैं, उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं, पैरा मिलिटरी फोर्सिस में डिसिप्लन बनाये रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बिना डिसिप्लिन के वहां जरा भी काम नहीं चल सकता है। दोनों मामलों में जो भेद है वह बिल्कुल साफ है।

जहां तक श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के साथ जो दुर्घटना हुई है उसका सवाल है, हम लोगों की सूचना यह है कि पुलिस वालों ने उनको बचाने की पूरी कोशिश की.....

श्री कंवरलाल गुप्त : आप झूठ बात कहते हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उस मामले में पुलिस वालों को जरा भी दोष नहीं दिया जा सकता है।

श्री शिव नारायण : हम लोग पीटे गये हैं, आप एलाउ नहीं कर रहे हैं। मैं स्वयं गेट के बाहर पीटा गया हूं, आप मौका नहीं दे रहे हैं। क्या यह आपका न्याय है। मैं पीटा गया हूं, गेट के बाहर। गुण्डे यहां पर लाए गए ..... (**इन्टरप्शंज**)

श्री कंवर लाल गुप्त : शर्म की बात है, मिनिस्टर साहब पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं। निन्दा पुलिस की करने के बजाय पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं।

श्री शिव नारायण : एम०पीज० को मारा जाता है, आप सवाल नहीं पूछने देते हैं।

SHRI J. M. BISWAS : He should be turned out of the House.

SHRI SHEO NARAIN : What has the Home Ministry done about that ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल दिल्ली पुलिस के बारे में है। वे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, जो रेलेवेंट नहीं हैं। इस सवाल का बार-बार जवाब दिया जा चुका है। उसी शक्ल में बार-बार सवाल किये जा रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय पुलिस को बचाना चाहते हैं, उसको डिफेंड करना चाहते हैं। यह शर्म की बात है। हम दिल्ली वाले इसको टालरेट नहीं करेंगे। पुलिस को कहिए कि ठीक तरह से काम करे। आप अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। आज उन पर अटैक हुआ है कल को किसी और पर होगा। यह चीज ठीक नहीं है।

SHRI R. K. BIRLA : On a point of order, Sir. We have just now heard the hon. friend, Shri Sheo Narain, using the word 'goonda'.

MR. SPEAKER : There is no point of order.

SHRI R. K. BIRLA : On a point of submission, Sir.

MR. SPEAKER : Later on ; please don't interrupt the hon. Member who is asking a question.

श्री देवेन सेन : मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किये

जाने से पहले उनके हाथ से बन्दूकें और लाठियां ले ली गई थीं या नहीं, प्रदर्शन से पहले उन लोगों की जगह पर बहाल करने के लिये बाहर से पुलिस लाई गई थी या नहीं और क्या एक एक पुलिस कर्मचारी पर तीन-तीन, चार-चार केस चलाये गये थे ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : कुछ लोगों के हाथ से, जिन पर कोई कार्यवाही करनी थी, जरूर अस्त्र-शस्त्र ले लिये गये थे । हम लोगों ने बाहर से कुछ लोगों को जरूर बुलाया था, जिनके द्वारा हम दिल्ली में शान्ति और व्यवस्था रखना चाहते थे । जहां तक केसिज का सम्बन्ध है, कानून के अन्तर्गत जो केस चलाने की जरूरत पड़ी, वे केस चलाये गये ।

दिल्ली से आगरा होकर बंबई तक का राष्ट्रीय राजपथ वर्षा के कारण बन्द रहना

*122. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा ऋतु के दौरान पानी जमा हो जाने के कारण दिल्ली से आगरा होकर बम्बई तक जाने वाला राष्ट्रीय राजपथ अनेक स्थानों पर बन्द रहता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): (a) Yes Sir, at some locations.

(b) The measures proposed to be taken in the Fourth Plan period include raising of the level of such stretches, replacement of causeways and submersible bridges by high level bridges and construction of by passes as realignments, to the extent funds are available.

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह कार्यवाही कब तक सम्पन्न हो जायेगी, इस पर कितना खर्च आयेगा और अब तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा सका ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : इसकी तरफ बहुत ध्यान दिया गया है । यह लगभग 832 मील लम्बी सड़क है । उस पर कभी कहीं पानी न आये यह तो मुश्किल बात है । इस सड़क पर 12 सबमर्सीबिल ब्रिजिज को फोर्थ प्लान में लिया जायेगा और उन पर जरूरत के मुताबिक खर्च किया जायेगा । जिन पांच काजवेज में पानी में रुकावट पड़ती है, उनको भी फोर्थ प्लान में रिप्लेस कर दिया जायेगा ।

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : कुछ स्थानों पर यह राष्ट्रीय राजपथ बहुत संकड़ा है । क्या इस कार्यक्रम में उसको उन स्थानों पर चौड़ा करने का काम भी हाथ में लिया जायेगा ?

श्री इकबाल सिंह : जहां जहां जरूरत होगी, वहां उसको चौड़ा करने के सिलसिले में भी कार्यवाही की जायेगी । कम से कम उसके साथ एक किस्म का शोल्डर प्रोवाईड किया जायेगा, ताकि ट्रैफिक में रुकावट न हो ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : नैशनल हाईवेज के कार्यान्वियन का काम प्रान्तीय सरकारों को दे दिया जाता है और सैंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेन्सी यह नहीं देखती है कि उसका मैटीरियल, काम या एलाइनमेंट ठीक है या नहीं । क्या इस नैशनल हाईवे या और किसी नैशनल हाईवे के सम्बन्ध में यह देखने के लिए कोई केन्द्रीय सरकार की एजेन्सी है कि काम ठीक हो रहा है या नहीं और मैटीरियल ठीक सप्लाई किया जाता है या नहीं ?

श्री इकबाल सिंह : रोड्ज के सिलसिले में जो कोई भी काम किया जाता है, या योजना बनाई जाती है, पहले यहां का रोड्ज विंग उस को देख कर पास करता है, जो कि इस देश की तकरीबन सबसे बड़ी और काम्पीटेंट टैकनिकल बाडी है । इसके अलावा हर एक स्टेट में हमारे